

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.deu.in
Email :- bmcsagar@mp.gov.in



फोन नं. 07582-236270
फैक्स नं. 07582-236457



चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. कार्य का नाम :-

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय के संपूर्ण परिसर (संपूर्ण चिकित्सालय के भवन, वार्ड, ओ.पी.डी., विभाग, खुला परिसर, सड़के इत्यादि) की संपूर्ण सफाई व्यवस्था। {सफाईकर्मी, समस्त सफाई सामग्री (जैसे-वर्दी, झाड़ू, पोछा, डस्टर, फिनायल संलग्न सूची अनुसार इत्यादि सहित)}

2. निविदा धरोहर राशि :-

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम एक लाख मात्र (रु. 1,00,000/-) है। सुरक्षा निधि, निविदा की वित्तीय दर स्वीकृत होने पर उसी दर के अनुसार एक माह की राशि के बराबर जमा करानी होगी। उक्त राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में भुगतारित, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। ऑनलाईन निविदा में एफ.डी.आर. की साफ्ट कॉपी संलग्न की जाना होगा। एफ.डी.आर. की वैधता न्यूनतम 18 माह होनी चाहिए, इससे कम अवधि की एफ.डी.आर. मान्य नहीं होगी। (डी.डी. /चेक/बैंक गारण्टी मान्य नहीं)

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा मूल्य राशि रु. 2000/- वापिसी योग्य नहीं है।

3. निविदा की समयावधि :-

अनुबंध के अनुसार निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदा काल अनुबंध/कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महाविद्यालय की क्रय समिति एवं कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर सफाई व्यवस्था की निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, फर्म के आवेदन पर आगे बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु बड़े हुए वर्ष हेतु निविदा की दर में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य होगी। निविदा की कुल अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

4. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि :-

निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा www.mpeproc.gov.in के साथ-साथ निविदा की एक हार्ड प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwriting) मान्य नहीं किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

- 4.1 निविदा ऑनलाईन एवं त्रिस्तरीय होगी।
- 4.2 निविदादाता को ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ-साथ एक सील बंद लिफाफे में हार्डकॉपी महाविद्यालय में डाक/स्वयं के द्वारा अंतिम तिथि तक जमा कराना होगा।
- 4.3 मुख्य लिफाफे के अंदर तीन लिफाफे क्रमशः ए., बी. सी रखने होंगे।
- 4.4 लिफाफा ए में एफ.डी.आर. एवं निविदा मूल्य की मूल प्रति रखनी होगी।
- 4.5 लिफाफा बी में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा प्रपत्र एवं चाहे गए समस्त तकनीकी दस्तावेज रखने होंगे। चाहे गए समस्त दस्तावेज मांग किए गए क्रम अनुसार जमा किये जाने चाहिए।
- 4.6 लिफाफा सी में निविदा की वित्तीय दर मूल प्रति में जमा करनी होगी।
- 4.7 निविदाफर्म द्वारा समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित एवं फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत किए जाने होंगे।
- 4.8 प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लिफाफों पर प्रति में अधिष्ठाता बीएमसी सागर तथा प्रेषक में फर्म का नाम एवं पूर्ण पता लिखा जाने के साथ साथ **“महाविद्यालय/ चिकित्सालय की साफ-सफाई व्यवस्था 2017-18”** लिखा जाना होगा।
- 4.9 ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करते हुए निविदाकार फर्म को निविदा की धरोहर राशि हेतु मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदा मूल्य की पावती भी संलग्न की जानी होगी।
- 4.10 ऑनलाईन निविदा की तकनीकी निविदा में फर्म को निविदा के चाहे गए समस्त तकनीकी दस्तावेजों के साथ-साथ निविदा प्रारूप जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के सील व हस्ताक्षर हो स्कैन कर संलग्न की जानी होगी।
- 4.11 ऑनलाईन निविदा में चाहे गए प्रारूप में वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत की जानी होगी।

5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :-

निविदा प्रपत्र, www.mpeproc.gov.in से ऑनलाईन देखने/पढ़ने के बाद दिनांक 04.04.2017 (मंगलवार) सायं 5:30 बजे तक ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा कर, ऑनलाईन क्रय की जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में निविदा मूल्य रु. 2000/- वापिसी योग्य नहीं है।

फर्म द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हेतु महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है।

6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :-

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "महाविद्यालय/ चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था 2017-18" अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में हार्डकॉपी दिनांक 10.04.17 (सोमवार) को दोपहर 2:30 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदाकार फर्म से अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा हार्डकॉपी में वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए, जिन्हें वह ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत कर रहे। फर्म द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

नवीन फर्म (बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य के अतिरिक्त) को प्राथमिकता दी जावेगी। जिस संस्था में फर्म कार्यरत है कोई भी विवादित (जांच स्थिति) निविदाता आवेदन न करें।

7. निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरूप :-

दिनांक 10.04.2017 (सोमवार) को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, द्वारा ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। समस्त निविदादाता फर्म निविदा खोलने की कार्यवाही ऑनलाईन देख सकेंगे।

7.1 दि. 10.04.17 को दोपहर 3:00 बजे निविदा की एफडीआर निविदा 'ए' खोला जाएगा।

7.2 निविदा 'ए' में सफल होने वाले निविदाकारों की तकनीकी निविदा 'बी' दि. 10.04.17 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी।

7.3 निविदा 'बी' में सफल होने वाले निविदाकारों की वित्तीय निविदा 'सी' दि. 11.04.17 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।

7.4 चाहे गए दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करने पर किसी भी स्तर पर निविदाकार फर्म के असफल होने की पूर्ण जबावदेही संबंधित फर्म की होगी।

7.5 क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. निविदा का परीक्षण एवं चयन :-

8.1 विज्ञप्त निविदा त्रिस्तरीय होगी। जो क्रमशः निविदा धरोहर राशि, तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दर के रूप में खोलकर की जावेगी।

8.2 प्रथमतः जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि प्राप्त होगी, उन्हीं को तकनीकी निविदाएँ खोलने के लिए अर्ह माना जाएगा तथा जिन निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं राशि की सुरक्षा निधि जमा नहीं की जाएगी उन्हें अयोग्य मानकर, उनके द्वारा जमा शेष निविदाएँ (जैसे तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे) यथावत जमा कर लिए जावेंगे।

- 8.3 द्वितीयतः जो निविदादाता फर्म, तकनीकी निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएगी। क्रय समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर निविदादाता फर्म को तकनीकी निविदा में अर्ह माना जाएगा। जो निविदादाता तकनीकी निविदा में असफल होंगे, उनकी वित्तीय निविदाएँ नहीं खोली जाएंगी तथा उन्हें यथावत जमा कर लिया जावेगा।
- 8.4 तृतीयतः जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा दर न्यूनतम होगी, उसे चयनित किया जाएगा।
- 8.5 यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को शासकीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था का कार्य अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।
- 8.6 किसी भी स्तर में निविदा के असफल होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का स्वयं होगा।
- 8.7 अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को अधिकार होगा कि वह न्यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा।
- 8.8 अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 8.9 निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को है।
- 8.10 निविदा प्रस्तुत करने पर उपरोक्त समस्त बिन्दु सभी निविदादाताओं को मान्य रहेंगे।
- 8.11 बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था हेतु समान वित्तीय दर प्राप्त होने पर महाविद्यालय परिसर/छात्रावास परिसर/चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु संस्था हित में पृथक-पृथक निविदाकारों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान रहेगा।

9. सफाई कर्मियों की तैनाती :-

निविदादाता को समुचित संख्या (अधिकतम 35) में सफाई कर्मियों को दो पहर (08 घंटे) समस्त दिवसों में उपलब्ध कराने होंगे। इस दौरान उन्हें इस हेतु निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने की दिनांक से सफाईकर्मियों उपलब्ध कराने हेतु घोषणापत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सफाईकर्मियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा कार्यादेश में किया जाएगा जिसमें आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि भी की जा सकेगी। सफाईकर्मियों बेरोजगार एवं अपने कार्य में निपुण नवयुवक ही होने चाहिए। निविदादाता फर्म साफ-सफाई व्यवस्था हेतु निर्धारित क्षेत्र का कार्यालयीन समय में भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं।

10. सफाई व्यवस्था हेतु कार्यतालिका (Job Chart) :-

साफ-सफाई व्यवस्था का उद्देश्य बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर में उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्यकर सफाई व्यवस्था, कूड़ा-कचरा मुक्त एवं आदर्श स्वरूप वातावरण प्रदान करना है :-

- A. सफाई व्यवस्था हेतु प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य:-निविदादाता फर्म को चिकित्सालय की साफ-सफाई नियमित रूप से समस्त दिवसों में अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
 1. सफाई, डस्टिंग, वैक्यूमिंग एवं जीवाणुरहित फर्श दीवारें छत, किसी भी प्रकार के कचरे को हटाना ।
 2. चिकित्सालय भवन में निम्न क्षेत्र सफाई व्यवस्था में शामिल होंगे:- ओ.पी.डी., समस्त वार्ड, विभागों का समस्त परिसर, टॉयलेट, कोरीडोर प्रशासकीय कार्यालय, बैठक कक्ष, लैक्चर हॉल (निर्मित/नवनिर्मित), इत्यादि कार्यालयीन फर्नीचर, मशीन/उपकरण, कम्प्यूटर, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, टायल्स एवं छत इत्यादि ।
 3. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सालय परिसर में मवेशी/ जानवर/कुत्ते/बिल्ली/चमगादड़/मधुमक्खी/मक्खियां/कबूतर आदि से मुक्त वातावरण बना रहे ।
 4. सफाईकर्मीयों को मधुमक्खी/ततैया (बररैया) का छत्ता निकालने का तरीका इस प्रकार का सुनिश्चित करना होगा कि इससे किसी भी मरीज, अधिकारी, कर्मचारी एवं कैंपस निवासियों को कोई नुकसान न हो सके ।
 5. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट सहित सभी तरह के कचरे को इस प्रकार से निष्पादन हेतु ले जाने हेतु सेफ्टी उपायों का ध्यान रखा जा रहा है ।
 6. चिकित्सालय के समस्त तलों पर स्थित टॉयलेट्स एवं वाश बेसिन, डस्टबिन, फर्श, छत, दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, ग्रिल्स आदि की सफाई का विशेष ध्यान देते हुए एक मानक स्तर की सफाई व्यवस्था करना तथा फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर जीवाणुरहित करना व ओडोनिल लगाकर उचित रखरखाव करना अनिवार्य है ।
 7. समस्त प्रकार की बकेट, डस्टबिन्स, एवं रद्दी की टोकरियां, मकड़ी जाले आदि की सफाई करना एवं उस कूड़ा कचरे को इकट्ठा करके तयशुदा जगह पर निष्पादन हेतु भेजना ।
 8. चिकित्सालय परिसर के समस्त कम्प्यूटर सिस्टम एवं उनके पेरीफेरल डिवाइसेस की सफाई, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, पंखे, उपकरणों एवं सहायक सामग्रियों की सफाई तथा समस्त खिड़कियों के कांच एवं ग्रिल्स की सफाई करना ।
 9. चिकित्सालय के समस्त विभागों, वार्डों, ओ.पी.डी., प्रशासकीय कक्षों एवं अधिष्ठाता/अधीक्षक द्वारा निर्देशित की गई जगहों पर प्रतिदिन प्रातः 08:30 बजे एवं दोपहर 02:00 बजे रूम फ्रेशनर स्प्रे का छिड़काव करना तथा लिक्विड हैंड सोप, टॉयलेट रोल्ल्स रखना अनिवार्य है ।
 10. चिकित्सालय परिसर स्थित ड्रेनेज सिस्टम चॉक हो जाने पर तत्काल सुधार कार्य करना ।
 11. चिकित्सालय परिसर की छतों पर रखी हुई टंकियों की सफाई प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बार करना अनिवार्य है ।

12. चिकित्सालय परिसर के समस्त विद्युतीय स्विच बोर्ड, लाइट से संबंधित उपकरण, पंखे, एयर कंडिशनर, ओवर हैड लाइट फिक्सचर, प्रोजेक्टर, टी.व्ही. स्क्रीन्स, अग्निशामक यंत्रों, नेम प्लेट, गमले, डोरमैट आदि की साफ-सफाई करना तथा सीढ़ी तथा सीढ़ी की रेलिंग की डस्टिंग एवं पौछा लगाना अनिवार्य है ।
13. समस्त प्रकार के डस्टबिन को दाग रहित रखना । समस्त प्रकार के डस्टबिन के समस्त प्रकार के कचरे को प्रतिदिन निर्धारित स्थान पर निषपादन हेतु पहुंचाना अनिवार्य है ।
14. चिकित्सालय परिसर में जहां तहां बाल, डस्ट, गंदगी तथा इस प्रकार की कोई अवांछित वस्तु पाई जाती है तो उसकी सफाई करना ।
15. चिकित्सालय परिसर के समस्त रिसेप्शन कक्ष, प्रशिक्षण कक्षों, समिति कक्ष, कम्प्यूटर लैब्स, सुरक्षा कक्षों, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंटों, आदि की प्रतिदिन सफाई, डस्टिंग एवं स्क्रबिंग करना अनिवार्य है ।
16. प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में एक बार चिकित्सालय परिसर में स्थित समस्त अल्मारी एवं कूलर की सफाई, डस्टिंग एवं स्क्रबिंग करना अनिवार्य है ।
17. चिकित्सालय परिसर के समस्त खुले परिसर की सफाई के साथ-साथ चिकित्सालय की बाउंड्रीवाल के बीच के खुले परिसर की साफ सफाई करना (All open area between the building and boundry), रोड की झाड़ू लगाना, पार्कों की सफाई करना, फुटपाथ की सफाई करना, खुली नालियों एवं चिकित्सालय परिसर के सेप्टिक टैंकों की साफ-सफाई चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार करना अनिवार्य है ।
18. चिकित्सालय परिसर की प्रतिदिन झाड़ू एवं फिनाइल से पौछा लगाना अनिवार्य है ।
19. सीढ़ियों के पास में ढक्कन वाली 20 लीटर की डस्टबिन रखवाना अनिवार्य है ।
20. प्रतिमाह के प्रत्येक सप्ताह में एक दिन चिकित्सालय के लेक्चर हॉल, प्रवेश द्वार, विभागीय कक्षों, लैब, टायलेट, कोरीडोर, फ़ैकल्टी कक्ष, गैलरी, सेमीनार हॉल, मीटिंग हॉल, प्रैक्टिकल रूम्स, संपूर्ण आंतरिक, कार्यालयीन कक्षों, टायलेट एवं कोरीडोर में लगे मकड़ी के जाले साफ करना अनिवार्य है ।

11. अनुबंध :-

चयनित निविदाकार को अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के साथ एक वर्ष के लिए महाविद्यालय में **“चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था 2017-18”** कार्य हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर फर्म को एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। तथा द्वितीय निविदाकार फर्म से अनुबंध संपादन की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. साफ-सफाई व्यवस्था हेतु अनुबंध शर्त :-

1. चयनित फर्मसे, निम्न शर्तों के साथ अनुबंध संपादित कर, **“चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था 2017-18”** कार्यादेश प्रदान कर निविदा कार्य एक वर्ष हेतु कराया जाएगा। अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी करने की दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर निविदा

अवधि, फर्म के आवेदन एवं क्रय/कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, स्वीकृत वित्तीय दर में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ, आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु किसी भी परिस्थिति में निविदा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। कार्य संतोषजनक न होने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

2. सफल निविदादाता को एक वर्ष के लिए सफाई व्यवस्था की निविदा अनुसार सफाई सामग्री एवं फर्म व्यय राशि रु. प्रतिमाह की दर से भुगतान करने के साथ—साथ म.प्र. शासन श्रम विभाग द्वारा जारी अकुशल कर्मी की प्रतिदिन की न्यूनतम वेतन दर एवं उसपर लागू ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. के साथ प्रदाय किया जाएगा।
3. अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त सफाई व्यवस्था हेतु जारी संपूर्ण निविदा का पालन करना भी निविदादाता फर्म का अनिवार्य कर्तव्य होगा। अधिष्ठाता महोदय के द्वारा पृथक से नई शर्तें संयोजित तथा शर्तों में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
4. सफाईकर्मियों के मासिक रोस्टर की प्रति, संबंधित सफाई व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से माह के प्रथम सप्ताह में कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जानी होगी।
5. निविदादाता फर्म द्वारा निम्न अधिनियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं निम्न अधिनियमों के अंतर्गत समस्त भुगतानों की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिनियम श्रम कानून अथवा अन्य कानून जो भी लागू होंगे, का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उसके पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी :-

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. न्यूनतम वेतन अधिनियम, | 2. श्रम अधिनियम, | 3. ई.पी.एफ. अधिनियम, |
| 4. ई.एस.आई.सी. अधिनियम, | 5. सेवाकर अधिनियम | 6. आयकर अधिनियम |

6. निविदादाता फर्म द्वारा दी गई वित्तीय निविदा दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। शासन द्वारा दरों में किए गए परिवर्तन मान्य रहेंगे।
7. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त सफाईकर्मियों की सूची जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, पता, बैंक एकाउंट नं., कलर फोटो तथा मोबाईल नं. हो, प्रथम देयक के साथ संलग्न करना होगी। इसके अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों का आधारकार्ड की छायाप्रति, उनके पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कि स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पता	आधार कार्ड नं व छायाप्रति	बैंक खाता सं.	कलर फोटो	कर्मचारी के हस्ताक्षर
-------	-----------------	-------------	-----	---------------------------	---------------	----------	-----------------------

8. इसीप्रकार जब भी सफाईकर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाए अथवा पुराने सफाईकर्मियों को हटाकर नए सफाईकर्मियों तैनात किए जाए तो कम अथवा ज्यादा होने वाले कर्मियों की सूची उपरोक्तानुसार संलग्नकों के साथ आगामी देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा।
9. कार्य प्रारंभ होने के बाद फर्म को अपना प्रतिमाह के देयक का सत्यापन जिसमें सफाईकर्मियों की उपस्थिति, सफाई सामग्री की उपलब्धता एवं संतोषजनक कार्य संबंधी

टीप लिखे जाने वाले प्रारूप संलग्न कर, निविदा कार्य के प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराना आपका उत्तरदायित्व होगा, तत्पश्चात देयक अधिष्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कार्य स्थल के अधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने अथवा अनुपस्थिति इन्द्राज करने पर प्रस्तावित राशि देयक से काट ली जावेगी।

10. निविदादाता फर्म को सफाईकर्मियों पर नियंत्रण एवं सफाई सामग्री की देख-रेख हेतु फर्म को निविदा में सम्मिलित व्यय से सागर में लघु कार्यालय स्थापित किया जाना होगा। जिसमें फर्म के प्रतिनिधि के नाम एवं मो. नं. तथा पते की जानकारी प्रथम देयक के साथ प्रस्तुत की जानी होगी।
11. सफल निविदादाता फर्म द्वारा निविदा स्वीकृत होने तथा अनुबंध संपादित करने से पूर्व, यदि लिखित आवेदन देकर, निविदा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो उक्त आवेदन पर, उसकी निविदा निरस्त कर, जमा सुरक्षा निधि की 30% राशि राजसात कर शेष सुरक्षा निधि वापिस कर दी जाएगी।
12. निविदादाता द्वारा निविदा भरी जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि निविदाकार को निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें मान्य हैं। सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के पश्चात निर्धारित दिनांक से कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसे ब्लेक लिस्टेड कर दिया जाएगा तथा द्वितीय सफल निविदादाता से अनुबंध किया जा सकेगा। जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
13. निविदादाता फर्म द्वारा की जा रही साफ-सफाई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पायी जाती है अथवा यदि स्वयं निविदा कार्य करने में असफल होता है या वह स्वयं बिना सूचना के कार्य छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना दिए, निविदा अनुबंध समाप्त कर, जमा सुरक्षा निधि को पूर्णतः राजसात कर, शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा।
14. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा साफ-सफाई निविदा कार्य के मासिक देयकों का भुगतान चैक के माध्यम से सत्यापित देयक प्राप्ति के दस दिन के अंदर कर दिया जाएगा। किन्तु किसी समय ऐसा संभव न हो तो निविदादाता फर्म उक्त देरी हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। किसी भी कारण से देयक के भुगतान न होने पर फर्म को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि का भुगतान स्वयं करना होगा। कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी फर्म की रहेगी।
15. निविदादाता फर्म को अपने अधीनस्थ सफाईकर्मियों का वेतन वितरण किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा एवं बैंक में भेजे जाने वाले पत्र की सत्यापित प्रति अगले देयक के भुगतान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

16. प्रथम देयक भुगतान पश्चात के देयकों के साथ, गत माह में भुगतान की गई ई.पी.एफ. / ई.एस.आई.सी. / सर्विस टैक्स इत्यादि के चालान / ई.सी.आर. की निर्धारित तिथियों में जमा करने की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. किसी भी प्रकार के विलंब पर हुए अर्थदण्ड की भरपाई संबंधित फर्म द्वारा की जावेगी।
18. निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक सफाईकर्मियों के ई.पी.एफ. एलॉटमेंट नंबर, ई.एस.आई. एलॉटमेंट नंबर की सूची, कार्य प्रारंभ करने के दो माह के अंदर महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी। इसीप्रकार समय-समय पर किए गए सफाईकर्मियों की वृद्धि/कमी अनुसार, सफाईकर्मियों के ईपीएफ/ईएसआई नंबर की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी।
19. निविदादाता फर्म यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा नियुक्त समस्त सफाईकर्मियों का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यदि कोई कर्मचारी आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में आपको पूर्णतः सहयोग प्रदान करना होगा।
20. समस्त सफाईकर्मी, निविदादाता फर्म के नियंत्रण में कार्य करेंगे। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी, मृत्यु इत्यादि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी भी कर्मचारी के असंवैधानिक, अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाने पर ऐसे कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाना आवश्यक होगा। ऐसे कर्मचारियों के स्थान पर अन्य उपयुक्त कर्मचारियों को तत्काल उपलब्ध करना आपका उत्तरदायित्व होगा।
21. सफाईकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश/अन्य अवकाश प्रदाय करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर तैनात किए गए नए कर्मचारी की सूचना एवं संलग्नक इस कार्यालय को प्रदान किया जान अनिवार्य होगा।
22. चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था समस्त दिवसों में की जाना है, अर्थात् फर्म को भुगतान दैनिक दर से कार्य दिवसों के आधार पर किया जाएगा।
23. मासिक देयक के साथ, सफाईकर्मियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्य की उपस्थिति हो, फर्म द्वारा हस्ताक्षरित एवं संबंधित निविदा कार्य के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. रोस्टर अनुसार सफाईकर्मी निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए पाना चाहिए। भौतिक निरीक्षण के दौरान सफाईकर्मी रोस्टर अनुसार निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए नहीं पाए जाने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने पर, फर्म की कार्य के प्रति लापरवाही समझी जावेगी। जिसके दण्डस्वरूप महाविद्यालय, फर्म के विरुद्ध अर्थ शक्ति अधिरोपित करने की हकदार होगी तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई अर्थ शक्ति निविदादाता फर्म को भरना अथवा अपने देयक से कटौती कराना अनिवार्य होगा।
25. चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था उच्च श्रेणी की प्रदाय करना अनिवार्य होगा अतः चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु सफाईकर्मियों को प्रदाय की जाने वाली सफाई सामग्री जैसे सफाईकर्मियों को पूर्ण वर्दी, पहचान पत्र, नेम प्लेट, दस्ताने, मास्क कोट, जूते, मोजे, कैप, रैन बूट, इत्यादि उपलब्ध कराना निविदादाता फर्म का

उत्तरदायित्व होगा। उपरोक्त सफाई सामग्री हेतु व्यय राशि, दी गई निविदा की वित्तीय दर में ही संयोजित है।

26. निविदादाता फर्म को परिशिष्ट 4 में दी गई सूची अनुसार वार्षिक सफाई सामग्री चिकित्सालय के स्टोर में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी एवं मांग पत्र पर उक्त संपूर्ण सामग्री फर्म को उनके आवश्यकतानुसार प्रदाय की जावेगी। फर्म का कार्याकाल पूर्ण होने पर शेष सामग्री पूर्णतः फर्म को लौटा दी जावेगी। उपरोक्त शर्त के पालन न किए जाने पर फर्म के प्रथम देयक भुगतान रोका जा सकेगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
27. प्रत्येक सफाईकर्मी का कार्य समय 8 घंटे का होगा, कार्य समय में उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य स्थल की साफ-सफाई करना होगी। सफाई कार्य मुश्तैदी से करने हेतु, सफाईकर्मी नियमित रूप से कर्तव्य स्थल पर सफाई कार्य करेंगे एक ही स्थान पर बैठे नहीं रहेगे।
28. सफाईकर्मी का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्तव्य स्थल की संपूर्ण सफाई कार्यतालिका अनुसार संपादित करें।
29. नियुक्त किए गए समस्त सफाईकर्मियों को, उच्च स्तरीय सफाई कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना होगा, जिससे वह सफाईकार्य पूर्ण जिम्मेदारी से कर सके।
30. सफाईकर्मियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी एवं कठोर अनुशासन एवं लगन से पूर्ण करेंगे।
31. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त सुरक्षाकर्मी अपने कर्तव्य स्थल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थों/नशे/व्यसन का सेवन नहीं करेंगे। यदि कर्तव्य स्थल पर किसी भी सुरक्षाकर्मी को मादक पदार्थों/बीड़ी सिगरेट या पान गुटखा का सेवन करते हुए पाया जाएगा, तो फर्म पर अधिकतम राशि रु. 1000 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित सफाईकर्मी को हटाना होगा।
32. अपने निर्धारित समय एवं कर्तव्य स्थल पर, संबंधित सफाईकर्मी के सोते हुए पाए जाने पर फर्म पर अधिकतम राशि रु. 1000 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित सफाईकर्मी को हटाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
33. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त सफाईकर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। सभी सफाईकर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ होना चाहिए। निविदाकार फर्म, सफाई कार्य हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगी। ऐसा पाए जाने पर श्रम अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
34. अनुशासनहीनता/बिना पूर्व सूचना के, सफाईकर्मियों की अनुपस्थिति/कर्तव्य स्थल की सुरक्षा में चूक/निर्देशों के पालन न करने पर राशि रु. 500 से 5000 तक अर्थशक्ति प्रति प्रकरण लगाई जा सकेगी। जिसकी वसूली मासिक देयक के भुगतान से कटौती कर की जावेगी।
35. अधिष्ठाता महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के स्थायी/अस्थायी नियुक्ति आदेश देने पर सफाईकर्मियों की व्यवस्था करना आपका

- उत्तरदायित्व होगा। इस हेतु स्वीकृत निविदा दर से अस्थायी/स्थायी कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जावेगा।
36. सफाईकर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होना होगा। इस हेतु फर्म द्वारा निर्धारित वर्दी, जूते, केप, लगाए जाने वाले बैच, नेम प्लेट, फोटो आई.सी. कार्ड, रैन कोट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगी।
 37. सफाई कर्मचारी के कर्तव्य स्थल अथवा स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि आदि देने के जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस हादसा/घटना से महाविद्यालय प्रशासन का कोई संबंध नहीं होगा और न ही कोई सफाई कर्मचारी महाविद्यालय से जुर्माना या हर्जाना मांगने का हकदार होगा। फर्म को सफाईकर्मियों का स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा करना अनिवार्य होगा। दुर्घटना बीमा कम-से-कम दो लाख का होना चाहिए।
 38. सफाईकर्मियों अथवा फर्म द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की क्षति/हानि पहुँचाने अथवा महाविद्यालयीन संपत्ति का आर्थिक नुकसान/चोरी करने/होने पर उसकी भरपाई निविदादाता फर्म के मासिक भुगतान अथवा अग्रिम धरोहर राशि से वसूल की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
 39. फर्म द्वारा निविदा कार्य का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को नहीं किया जा सकेगा।
 40. आपातकालीन स्थिति जैसे हड़ताल अथवा किसी विशेष आयोजन पर अथवा राष्ट्रीय पर्व, स्वच्छता दिवस इत्यादि पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 41. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म को मासिक देयक पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जाएगी।
 42. सेवाकर अधिनियम के अनुसार यदि देयक में सर्विस टैक्स जोड़ा गया है तो अगले देयक में सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आगामी देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्तमान में महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय पर सेवाकर अधिनियम लागू नहीं है।
 43. निविदादाता फर्म को वित्तीय वर्ष 2017-18 के सभी कार्यों जैसे आयकर, ईपीएफ जमा, ई.एस.आई.सी. जमा आदि का क्लियरेंस प्रमाण पत्र, स्वयं के हस्ताक्षर एवं सील से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के बाद यदि कोई कर देय पाया जाता है तो वह निविदादाता फर्म द्वारा अदा किया जाएगा साथ ही वह निविदादाता की अयोग्यता का कारण भी होगा एवं ऐसी दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
 44. सफाई सामग्री की सुरक्षा के लिए अलमारी या अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
 45. महाविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु कार्यादेश जारी होने की दिनांक से, निविदा में दिए गए कार्यतालिका (Job Chart) एवं निर्धारित समय-सारणी अनुसार कराना होगा।

46. प्रशासन द्वारा इंगित किए जाने पर, सफाईकर्मों के कार्य से संतुष्ट न होने पर, उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा इस हेतु किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा।
47. प्रत्येक सफाईकर्मों प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था/संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशानुसार साफ-सफाई कार्य करने हेतु बंधनकारी होगा। सफाई कर्मों द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर, कर्मचारी के उस दिन के वेतन की कटौती करने एवं उसके निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी। जिसका पालन फर्म द्वारा किया जाएगा। ध्यान रहे कि, प्रत्येक सफाईकर्मों को निविदा अनुसार प्रतिदिन आठ घंटे काम करना अनिवार्य होगा।
48. सफाईकर्मियों से विशेष परिस्थिति/आयोजनों के समय, आवश्यकतानुसार एवं निर्देशानुसार सामान्य कार्य जैसे- सामान ढुलाई, कुर्सी/टेबल लगाना, पेड़ लगाना/उखाड़ना, स्थल समतल करना, किसी मशीन/सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करना इत्यादि कार्य करना होगा।
49. महाविद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य राजनैतिक कार्यक्रम या जनप्रतिनिधियों के भ्रमण के दौरान, सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने हेतु सफाई व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशों का पालन फर्म द्वारा तत्काल किया जाएगा।
50. निविदाकार फर्म को, शासकीय संस्थानों में ब्लेक लिस्टेड न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र 50 रु. के स्टाम्प पर नोटरी कराकर जमा कराना अनिवार्य होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
51. निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
52. निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जबाबदार होगा।
53. ऊपर दी गई शर्तों के अलावा ठेकेदार द्वारा दी गई शर्तें मान्य नहीं होंगी।
54. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शा.मेडिकल कॉलेज, सागर को ऊपर दी गई शर्तों में कमी अथवा वृद्धि अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/होगा।
55. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को उक्त निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
56. संबंधित स्थल पर गंदगी/सफाई न पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध प्रतिप्रकरण राशि रु. 500/- अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सकेगी।
57. शा. चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी शहर की सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) होती है इसलिए व्ही.आई.पी./व्ही.व्ही.आई.पी. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा उक्त संस्था का निरीक्षण किया जाना निश्चित है। अतः महाविद्यालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जबाबदेही निविदादाता फर्म की होगी। किसी भी अधिकारी द्वारा परिसर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी इन्द्राज की जाती है, तो यह आपके कार्य की असफलता समझी जावेगी तथा इस बेहतरीन

सम्माननीय संस्था (Reputed Institute) की छवि धूमिल करने पर आपकी निविदा समाप्ति की कार्यवाही/अर्थदण्ड लगाने/अग्रिम धरोहर राशि के राजसात करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। आप महाविद्यालय की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपने सुझाव महाविद्यालय प्रबंधन समिति के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं एवं प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत आपके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जावेगी।

58. विवाद की स्थिति में दोनो पक्ष निविदाप्रदाता एवं निविदादाता आपस में विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
59. समस्त न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर होगा।
60. निविदादाता फर्म को उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रति प्रकरण रु. अधिकतम राशि रु. 1000/- अर्थदण्ड करने या अनुबंध निरस्त करने एवं जमा धरोहर राशि राजसात का अधिकार अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

13. सफाई व्यवस्था की निविदा हेतु तकनीकी आवश्यकताएँ :-

उपरोक्त निविदा प्रपत्र का हर पृष्ठ निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था की तकनीकी निविदा लिखकर Envelope- "B" से लिखें :-

निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण :-

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म के प्रोपराईटर का नाम :-
3. फर्म के प्रोपराईटर का मो. नं. :-
4. फर्म का पूर्ण पता :-
5. फर्म का दूरभाष/फैक्स व ई-मेल नं. :-
6. प्रोपराईटर का फोटो आई.डी. नं. :-

क्रं.	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने योग्य दस्तावेज		
1	साफ-सफाई व्यवस्था का फर्म द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र की मूल प्रति	
2	संस्था/फर्म का जीवित लेबर लायसेंस की छायाप्रति	
3	संस्था/फर्म का स्थाई लेखा क्रमांक (पेन) की छायाप्रति	
4	वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति	
5	संस्था/फर्म के वित्तीय वर्ष 2015-16 की सी.ए. ऑडिट की छायाप्रति	
6	संस्था/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने संबंधी 50 रु. के स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र परिशिष्ट 2 के अनुसार मूल प्रति	
7	संस्था/फर्म द्वारा सफाईकर्मी एवं सफाई सामग्री उपलब्ध कराने हेतु परिशिष्ट 3 में फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति	
ऐच्छिक रूप से यदि हो तो प्रस्तुत करने योग्य दस्तावेज		
8	संस्था/फर्म का ई.पी.एफ. पंजीयन	
9	संस्था/फर्म का ई.एस.आई.सी. पंजीयन	
10	संस्था/फर्म का सर्विस टैक्स नंबर/पंजीयन	
11	वित्तीय वर्ष 2015-16 सर्विस टैक्स रिटर्न जमा करने की प्रति	
12	साफ-सफाई संबंधी कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र	
13	अन्य यदि हो तो	

नोट- निविदादाता फर्म/संस्था के पास उक्त अनिवार्य दस्तावेजों का होना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकी अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

हस्ताक्षर

संचालक/व्यवस्थापक का नाम

फर्म की पदमुद्रा

(50 रु. के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं. (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें पूर्णतः मंजूर हैं। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य/गलत पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही हमारी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :-
- पता :-
-
2. पूरा नाम :-
- पता :-
-

हस्ताक्षर

- निविदादाता फर्म का नाम
- पता :-
- मोबाईल नं. :-

सफाईकर्मी एवं सफाई सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं पुत्र श्री

उम्र (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म

..... पता

..... यह प्रमाणित करता हूँ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में सफाईकर्मी एवं संपूर्ण सफाई सामग्री, दी गई वित्तीय निविदा दर में उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर

संचालक/व्यवस्थापक का नाम

फर्म की पदमुद्रा

List of Tentative Housekeeping Machines/Resources
Requirement:-

निविदादाता फर्म के पास बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय की प्रतिदिन की प्रभावी सफाई व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मशीनें एवं उपकरणों का होना अनिवार्य है:-

Sl.No.	Description	Tentative Nos. required
1	ऑटो स्क्रबर मशीन	02 Nos.
2	वैक्यूम क्लीनर हैवी ड्यूटी	02 Nos.
3	रिंगर ट्रॉली	05 Nos.
5	लैंडर एल्यूमीनियम (घोड़ी टाइप)	05 Nos.
6	ग्लास क्लीनर किट	02 Nos.
7	साइन बोर्ड	05 Nos.
8	राईड ऑन स्क्रबर बैटरी ऑपरेटेड	01 Nos.
9	कमर्शियल स्क्रबर ड्रायर	02 Nos.
11	सिंगल डिक्स स्क्रबर/पॉलीशर	02 Nos.
12	वैट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर	02 Nos.
13	ड्राई वैक्यूम क्लीनर	02 Nos.
14	हाई प्रेशर कॉमर्शियल वाटर जेट	02 Nos.
15	कवर्ड ट्रॉली विथ व्हील्स	05 Nos.
16	ड्रेन क्लीनर मशीन	01 Nos.
17	डस्टबिन 70 लीटर (आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है)	50 Nos.
18	पौलीथिन बैग 70 लीटर (आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है)	50 Nos.
19	बकेट हैंडलिंग ट्रॉली	02 Nos.
20	एक्सटेंशन पोल	05 Nos.

- चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु चिकित्सालय की स्टोर शाखा में निविदादाता द्वारा एक स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा, जिसमें उपरोक्त सामग्री का स्टॉक एवं खपत की संपूर्ण जानकारी एकत्रित रहेगी । उपरोक्त सामग्री को प्रयोग करने हेतु चिकित्सालय के स्टोर इंचार्ज से इशू कराने के उपरांत उपयोग किया जावेगा ।

फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मासिक कंज्युमेबल सफाई सामग्री सूची

S. No.	ITEM WITH STANDARD PACK/MAKE	Account Unit
1	डस्ट कंट्रोल रीफिल	25 नग
2	मोप रीफिल	50 नग
3	डिटर्जेंट पाउडर (1 कि.ग्रा.)	25 नग
4	विम पाउडर (1 कि.ग्रा.)	50 नग
5	मल्टी क्लीनर	25 नग
6	रूम स्प्रे (Premium)	25 नग
7	ऑटो स्प्रे	50 बोटल्स
8	ओडोनिल (1 कि.ग्रा. पैक)	120 नग
9	यू. क्यूब्स	15 पैकेट
10	नैथ्यालिन बॉल्स (1kg pack)	15 पैकेट
11	सोडियम हाइपोक्लोराइड	25 लीटर
12	ब्लीचिंग पाउडर	100 कि.ग्रा.
13	फिनायल	100 लीटर
14	R1 (बाथरूम क्लीनर)	50 लीटर
15	R2 (ग्लास क्लीनर/कोलीन)	25 लीटर
16	R3 (फर्नीचर क्लीनर)	25 लीटर
17	R4 (टायलेट क्लीनर)	50 लीटर
18	R5 (टायल्स क्लीनर)	50 लीटर
19	कीटनाशक स्प्रे	25 बोटल्स
20	हारपिक लिक्विड (1 कि.ग्रा. पैक)	25 बोटल्स
21	डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड	25 लीटर
22	विजार्ड लिक्विड	10 लीटर
23	ब्रूम सोफ्ट (फूल झाडू)	25 लीटर
24	कोब वेब क्लीनर विथ अटैचमेंट	05 नग
25	पीले डस्टिंग क्लोथ (कम्प्यूटर्स की सफाई हेतु)	50 नग
26	हैवी ड्यूटी टॉयलेट ब्रश	25 नग
27	Heavy Duty toilet brush	Dozen
28	डस्टिंग क्लोथ	05 दर्जन
29	वैट क्लोथ	10 दर्जन
30	टायलेट ब्रूम	25 नग
31	रोड ब्रूम	10 नग
32	स्क्रबिंग ब्रश	10 नग
33	हैड राउण्ड ब्रश	25 नग
34	जाला ब्रश मेटल	15 नग
35	टायलेट क्लीनर ब्रश	25 नग
36	वायपर छोटे	25 नग
37	वायपर बड़े	25 नग
38	डस्टिंग वायपर	25 नग
39	प्लास्टिक मग	25 नग

40	बाल्टी छोटी	15 नग
41	बाल्टी बड़ी	15 नग
42	डस्टबिन विथ लिड	25 नग
43	ड्रम विथ लिड	10 नग

टीपः— निविदादाता अनुबंध हेतु जो दर प्रदाय करेंगे, वह दर अनुबंध की संपूर्ण अवधि पर लागू होगी, भले ही बाजार भाव में कमी अथवा वृद्धि होती रहे । साथ ही उपयोग की गई सामग्री की राशि का भुगतान सामग्री की खपत के आधार पर किया जावेगा ।

हस्ताक्षर

संचालक / व्यवस्थापक का नाम

फर्म की पदमुद्रा

जुर्माना सूची

No.	Description of irregularities	Penalty/जुर्माना
1	निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सफाईकर्मियों का पाया जाना	200 /- रुपये प्रति व्यक्ति
2	यदि कचरे को निविदा में दर्शाई गई प्रणाली एवं शैड्यूल के अनुसार नहीं उठाया गया	500 /- रुपये प्रति असफल प्रयास
3	यदि सफाईकर्मि बिना ड्रेस एवं आई कार्ड के पाया जाता है तो	200 /- रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
4	महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिल्डिंग में पान अथवा किसी भी प्रकार के दाग पाए जाने पर	100 /- रुपये प्रति दाग का स्थान प्रतिदिन
5	महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में किसी भी प्रकार की गंदगी पाए जाने पर	200 /- रुपये प्रति शिकायत प्रतिदिन
6	महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का कोई भी टॉयलेट गंदा पाए जाने पर अथवा निर्धारित प्रणाली तथा निर्धारित सामग्री से साफ नहीं करने एवं रख-रखाव नहीं करने पर	200 /- रुपये प्रति टॉयलेट प्रतिदिन
7	यदि असंतुष्ट सफाई व्यवस्था अथवा बिना सफाई वाले स्थान की शिकायत करने के एक घंटे के अंदर कोई कार्यवाही नहीं की गई	200 /- रुपये प्रति शिकायत प्रतिदिन
8	यदि निविदादाता फर्म के किसी कर्मचारी द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के स्टाफ (चिकित्सा शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी), मरीज, मरीज के परिजन तथा किसी भी आगंतुक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है	200 /- रुपये प्रति घटनाक्रम प्रतिदिन
9	ऑटो स्क्रबर मशीन न होने पर	1000 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
10	वैक्यूम क्लीनर हैवी ड्यूटी न होने पर	1000 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
11	रिंगर ट्रॉली न होने पर	500 /- रुपये प्रति ट्रॉली प्रतिदिन
12	ग्लास क्लीनर किट न पाए जाने पर	500 /- रुपये प्रति स्थान प्रतिदिन
13	साइन बोर्ड न पाए जाने पर	500 /- रुपये प्रति स्थान प्रतिदिन
14	राइड ऑन स्क्रबर बैटरी ऑपरेटेड मशीन न पाए जाने पर	4000 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
15	कमर्शियल स्क्रबर ड्रायर	2000 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
16	सिंगल डिक्स स्क्रबर/पॉलीशर	800 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
17	वैट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनरी	500 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
18	ड्राई वैक्यूम क्लीनर	500 /- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
19	हाई प्रेशर कॉमर्शियल वाटर जेट	500 /- रुपये प्रति जेट प्रति स्थान प्रतिदिन
20	कवर्ड ट्रॉली विथ व्हील्स	500 /- रुपये प्रति ट्रॉली प्रतिदिन
21	डस्टबिन 70 लीटर (आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है)	200 /- प्रति डस्टबिन प्रतिदिन
22	बकेट हैंडलिंग ट्रॉली	500 /- प्रति ट्रॉली प्रतिदिन
23	उपरोक्त स.क्र. 01 से लेकर 28 तक दर्शाई गई परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होने पर	उपरोक्त स.क्र. 01 से लेकर 08 तक दर्शाई गई परिस्थितियों हेतु जुर्माना कॉलम में दर्शाए गए जुर्माने से दोगुना जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा ।

- सफाई कर्मचारियों को ड्रेस, आईकार्ड, सफाई हेतु निर्धारित मशीनें/उपकरण एवं निर्धारित सफाई सामग्री जैसे-कवर्ड ट्रॉली, डस्टपैन, मोप्स, बकेट्स, वायपर, ग्लब्स, डस्टर्स, स्क्रबर, स्पंज, झाड़ू, ब्रशेस, सुरक्षा के साधन आदि प्रदाय करने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा ।
- निविदा भरने हेतु सामान्य निर्देश, अनुबंध की सामान्य शर्तें तथा साफ-सफाई हेतु सामान्य निर्देश, आवश्यक उपकरण एवं साधन अनुसार कार्य न करने पर जुर्माना सूची अनुसार तथा अन्य अनुशासनहीनता हेतु अधिष्ठाता एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा । इस जुर्माने की राशि की पूर्ति सफल निविदाकार के मासिक देयकों से की जावेगी ।

Bundelkhand Govt. medical college Sagar		
Financial Final Bid for hospital sanitation Tender		
Name of bidder/firm		
Date of tendering		
S.No.	Particular	Rs. Per month
1	Providing tender rate per months for sanitation material, equipments charges, Dress ETC. As per tender notification included with service charge taken by firm	
Note		
1	Except above rate, safaikarmi salary, EPF & ESIC WILL be paid as per Govt. rules by the college via monthly bills provided by firm.	
2	Salary for safaikarmi as per M.P. Govt. Labour commissioner, indore Non technical rate per day, EPF & ESIC rate will be paid if applicable.	
3	Above rate should be in whole number (purnank) Not decimal No. and it should not be below one (01).	

विशेष :- निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तें मैंने पढ़ ली है और वह मुझे पूर्णतः स्वीकार्य है। उक्त निविदा दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि देयक में अधिरोपित नहीं की जावेगी।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :- निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :-

..... निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :-

दूरभाष/फैक्स क्रं. :- निविदादाता फर्म की सील :-

मोबाइल नं. :-

नोट :- कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट-छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट-छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्तें लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।